17

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 01–3–13 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 3551–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–10–15 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 77/अ–21/2013–14.

श्री तामसिंह आत्मज श्री चैनसिंह
उम्र 66 वर्ष जाति गौंड (आदिवासी)
निवासी ग्राम रामपुर, सोनू किराना स्टोर्स के पास
शंकर शाह नगर, रामपुर, जबलपुर
स्थाई निवासी ग्राम घाघरखैरी,
तहसील लखनादौन जिला सिवनी ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा तहसीलदार, जबलपुर ——— अनावेदक

01-3-16	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा धारा 152 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता को उक्त आवेदन पर सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 2-11-15 में आदेश के पैरा-2 पृष्ठ 2 की दूसरी लाइन में एवं आदेश के पैरा 4 में चौथे पृष्ठ पर टंकण की त्रुटिवश खसरा नं. 36/11 एवं 36/12 के स्थान पर खसरा नं. 36/11 ही 2 बार लिख गया है । अतः उन्होंने उक्त त्रुटि को सुधारे जाने का अनुरोध किया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक 2-11-15 में आदेश के पैरा-2 के पृष्ठ 2 की दूसरी लाइन में एवं आदेश के पैरा 4 में चौथे पृष्ठ पर भूमि खसरा नं. 36/3 के बाद <u>36/11 एवं 36/11</u> के स्थान पर <u>36/11 एवं 36/12</u> पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जायेगा । सदस्य